(13)

Speed Post No.- EF397745127.

राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन पटना -800022

अधिसूचना

दिनांक-04.03.2014

संख्या-बी.एस.यू.-41/2013-429/रा.स. (1) शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के पत्र संख्या-15/डी1-03/11-1413, दिनांक 31 जुलाई, 2013 के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार की अधिसूचना संख्या-बी.एस.यू.-41/2013-1866/जी.एस(1), दिनांक 19.08.2013 द्वारा गठित परिनियम समिति द्वारा समर्पित प्रारूप परिनियम, उक्त प्रारूप परिनियम पर विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से प्राप्त मंतव्य एवं तत्पश्चात् शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के पत्र संख्या-15/डी1-03/11-381, दिनांक 24.02.2014 के माध्यम से प्राप्त संशोधित प्रस्ताव पर विचारोपरान्त, माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 एवं पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976, यथा अद्यतन संशोधित, की धारा 36(7) में निहित शक्तियों के अधीन, बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों के कार्यालय, सम्बद्ध कार्यालयों, स्नातकोत्तर विभागों, संस्थानों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकेतर पदाधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति/प्रोन्नति के निमित्त पद सोपान/पद संवर्ग निर्धारित करने के साथ-साथ इनकी प्रोन्नति हेतु अलग-अलग तीन परिनियमों (प्रतिलिपि संलग्न) को अनुमोदित करने की कृपा की गयी है।

माननीय कुलाधिपति के आदेश से

ह०/-

(ब्रजेश मेहरोत्रा)

राज्यपाल के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-बी.एस.यू.-41/2013-429/रा.स. (1), दिनांक-04.03.2014

प्रतिलिपि माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा अनुमोदित परिनियम की प्रति के साथ-

1. कुलपति, पटना विश्वविद्यालय, पटना।
2. कुलपति, बाबा साहेब भीमराव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।
3. कुलपति, तिलका माँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर।
4. कुलपति, मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना।
5. कुलपति, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा।
6. कुलपति, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा।
7. कुलपति, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।
8. कुलपति, भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा।
9. कुलपति, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।
10. कुलपति, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ब्रजेश मेहरोत्रा) 4/3/14

राज्यपाल के प्रधान सचिव

अनु०-यथा उपर्युक्त (कुल 149 पृ०)

अनुलग्नक संख्या-1

बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों के विश्वविद्यालय कार्यालय, सम्बद्ध कार्यालयों, स्नातकोत्तर विभागों, संस्थानों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकेत्तर पदाधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति/प्रोन्नति के निमित्त पद सोपान/पद संवर्ग निर्धारित किये जाने से संबंधित परिनियम:-

बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 एवं पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 34 एवं 36 के अधीन राज्य के विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों की सामान्य सेवा शर्तों से संबंधित परिनियमों में अंकित प्रावधानों में किसी अन्यथा प्रावधानों के रहते हुए, राज्य के विश्वविद्यालय कार्यालय, सम्बद्ध कार्यालयों, स्नातकोत्तर विभागों, संस्थानों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत रिक्त पदों पर विधिवत रूप से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकेतर पदाधिकारियों/ कर्मचारियों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु सामान्य सेवा परिनियम :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं आरंभ :

यह परिनियम 'विश्वविद्यालय कार्यालय, सम्बद्ध इकाइयों, स्नातकोत्तर विभागों, संस्थानों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति/ प्रोन्नति हेतु निर्धारित योग्यता एवं प्रक्रिया के लिए विहित परिनियम के नाम से जाना जाएगा तथा यह कुलाधिपति की सहमति की तिथि से लागू समझा जायगा।

2. परिभाषाएँ :

इस परिनियम में जबतक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो। इस परिनियम में अंकित शब्दों की परिभाषा वहीं मानी जायेगी जो नीचे परिभाषित किया जा रहा है :-

(i) 'अधिनियम'- से अभिप्रेत है बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 एवं पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 ।

(ii) 'यू०जी०सी०' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग;

(iii) 'धारा' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय अधिनियम की धाराएं;

(iv) 'नियमन' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा परिचालित नियमन;

(v) 'अनुच्छेद' से अभिप्रेत है, इस परिनियम का अनुच्छेद;

(vi) 'सरकार' से अभिप्रेत है, बिहार सरकार ।

(vii) 'आयोग' से अभिप्रेत है, बिहार लोक सेवा आयोग ।

(viii) 'विश्वविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय कार्यालय, सम्बद्ध कार्यालयों स्नातकोत्तर विभागों एवं संस्थानों के शिक्षकों से अलग विश्वविद्यालय के कर्मचारी।

(ix) 'महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी' से अभिप्रेत है, अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकों से भिन्न महाविद्यालयों के कर्मचारी।

(x) 'परिवेक्षण' से अभिप्रेत है, इन परिनियम में निर्दिष्ट किसी पद पर परिवेक्षण पर नियुक्त कोई कर्मी।

ह0/- 13/… (?) … सिंह
सचिव,

अस्थायी रिक्तियों के संविदा अथवा आउटसोर्सिंग द्वारा भरे जाने की स्थिति में कुलपति की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुमोदन पर की जा सकेगी बशर्ते कि विभागाध्यक्ष/ कार्यालय प्रधान ने इस आशय का प्रस्ताव कुलसचिव को प्रेषित किया हो कि इन रिक्तियों को नहीं भरने से कार्य बाधित होगा। इस तरह से की गयी नियुक्ति एक शैक्षणिक सत्र या ग्यारह माह की अवधि तक, जो भी पहले हो, के बाद स्वतः समाप्त समझी जाएगी ;

(x) अन्य प्रावधान : (a) प्रोन्नति कोटा से भरे जाने हेतु यदि पर्याप्त मात्रा में पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो, तो ऐसे रिक्त पद का स्थानांतरण खुली नियुक्ति कोटा में कुलपति की सहमति से किया जा सकेगा तथा ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं होगा कि पूर्व में नहीं भरे गये पद आगे भी इसी कोटा में बने रहेंगे।

(b) अंधा/ शारीरिक रूप से निःशक्त/ विकलांग व्यक्ति, स्त्री एवं अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु आरक्षण नियम राज्य सरकार द्वारा इस आशय हेतु बनाया गया नियम कठोरता से लागू होगा।

(c) विश्वविद्यालय के कर्मियों को विश्वविद्यालय के अन्तर्गत किसी भी इकाई विश्वविद्यालय विभाग/ या विश्वविद्यालय के अधीन किसी भी संस्थान में समकक्ष पद पर स्थानांतरित किया जा सकता है।

(xi) नियंत्री पदाधिकारी :

(i) कुलसचिव विश्वविद्यालय कार्यालय में पदस्थापित पदाधिकारी, सचिवीय, अनुसचिवीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

(ii) महाविद्यालय में पदस्थापित सभी शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी के नियंत्री पदाधिकारी वहाँ के प्रधानाचार्य होंगे।

(iii) विश्वविद्यालय विभाग एवं अन्य संस्थान के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी के नियंत्री पदाधिकारी विभागाध्यक्ष या संस्थान के प्रधान होंगे।

(iv) कुलसचिव के नियंत्री पदाधिकारी कुलपति होंगे।

9. प्रोन्नति समिति का गठन :

प्रोन्नति समिति के गठन और इससे संबंधित प्रावधान वे ही होंगे, जिनका उल्लेख राज्यपाल सचिवालय के दिनांक 20.12.1986 के पत्र संख्या बी0एस0यू0 25/84-3965/जी0एस0 में परिनियम प्रोन्नति समिति संबंध में उल्लिखित है।

10. प्रोन्नति के निमित्त, विश्वविद्यालय कार्यालय, इसकी सम्बद्ध इकाइयाँ, स्नातकोत्तर विभाग, स्नातकोत्तर केन्द्र और संस्थान (स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षा देने वाले) की एक इकाई होगी जिसे इकाई-I कहा जाएगा एवं सभी अंगीभूत महाविद्यालय और संस्थानों (स्नातक स्तर तक शिक्षा देने वाले) की अलग एक इकाई होगी जिसे इकाई-II कहा जायगा।

ह०/-
एन0 के0 सिंह
... के अवर सचिव,
...-22